निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमांकः–एफ.22(   )स्था/निकाशि/निर्देश/2012/502   दिनांकः– 16-07-2012

परिपत्र

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010(**RVRES**) के तहत नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों के अकादमीक अवकाश स्वीकृत करने एवं रिफ्रेशर कोर्स के सम्बन्ध में पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 18.5.12 में दिये गये निर्देशों को ओर अधिक स्पष्ट किया जाकर प्राचार्य राजकीय महाविद्यालयों को निम्न प्रकार से कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये जाते है –

अकादमिक अवकाश के सम्बन्ध में –

(i) RVRES 2010 के अन्तर्गत नियुक्त शैक्षणिक कार्मिको प्रति वर्ष 1 जुलाई से 31 जनवरी तक कॉनफ्रेस, कार्यशाला, प्रायोगिक परीक्षा, हेतु अकादमीक स्वीकृत किया जाना है ।

(ii) प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 30 जून तक केवल प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु अकादमिक अवकाश स्वीकृत किया जाना है ।

(iii) P.hd वाइवा हेतु सम्पूर्ण सत्र में अकादमिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा ।

(iv) एक बार में अधिकतम 10 दिवस का अकादमिक अवकाश ही स्वीकृत किया जा सकता है

(v) आकस्मिक अवकाश (C L) की तरह ही अकादमिक अवकाश स्वीकृत किया जाना है ।

(vi) एक सत्र में 15 से अधिक अकादमिक अवकाश स्वीकृत नहीं किये जा सकते है ।

(vii) 10 दिवस से अधिक अकादमिक अवकाश का उपभोग करने पर सम्पूर्ण अवकाशों को P L या अन्य अवकाशों में स्वीकृत करना होगा ।

(viii) प्राचार्य अपने स्तर पर प्रत्येक कार्मिक का अकादमिक अवकाश के रिकार्ड का संधारण रखेगें एवं निदेशालय द्वारा मांगने पर तुरन्त उपलब्ध कराना होगा ।

नोट :– उपरोक्त निर्देश 01 जुलाई 2012 से ही मान्य होगें ।

रिफ्रेशर/ओरियेन्टेशन कोर्स के सम्बन्ध में --

RVRES 2010 के तहत नियुक्त कार्मिक पूर्व के बकाया रिफ्रेशर/ओरियेन्टेशन कोर्स करना चाहता है तो प्राचार्य अपने स्तर पर शैक्षणिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए निम्न शर्तो के आधार पर अनुमति प्रदान कर सकता है –

(i) प्राचार्य जब इनके नाम विश्वविद्यालय को भेजे इससे पूर्व इनकी निजी पत्रावली से पूर्व में किये गये कोर्स की प्रतिलिपि देखकर यह सुनिश्चित कर लेवे कि इनके कितने कोर्स बकाया है । बकाया होने की स्थिति में ही आवेदन पत्र अग्रेषित किये जावें ।

(ii) दो रिफ्रेशर कोर्स के बीच एक वर्ष का अन्तराल होना चाहिये ।

(iii) सलेक्शन ग्रेड पाने के लिए सीनियर ग्रेड के बाद दो रिफ्रेशर कोर्स करना आवश्यक है ।

(iv) सीनियर ग्रेड पाने के लिए एक ओरियेन्टेशन और उसके एक साल बाद रिफ्रेशर कोर्स अनिवार्य है । अगर सर्विस ज्वाइन करने के समय व्याख्याता यदि P.hd. उपाधि धारक है या P.hd. थीसीस जमा करा रखा है तो उनको केवल एक रिफ्रेशर कोर्स या ओरियेन्टेशन करना जरूरी है ।

(v) रिफ्रेशर/ओरियेन्टेशन कोर्स के लिए नियमानुसार अवकाश स्वीकृत कराकर जाना होगा अर्थात इसके लिए Duty Leave देय नही होगी ।

(vi) रिफ्रेशर कोर्स/ओरियेन्टेशन कोर्स के लिए किसी भी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा न ही विभाग कोर्स पूर्ण करने के पश्चात कोई वित्तीय भार उत्पन्न होता है तो उत्तरदायी नहीं होगा ।

(सुबीर कुमार)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर ।
4. संयुक्त निदेशक (अनुदान/प्रशासन/अकादमी/योजना) कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर ।
5. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रिय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर ।
6. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर ।
7. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राज., जयपुर ।
8. समस्त शैक्षणिक कार्मिक RVRES
9. डॉ.धीरेन्द्र देवर्षि, बेबसाइट प्रभारी

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर